



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 121-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 19 जुलाई, 2018  
(28 आषाढ़, 1946 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का0आ043/के0अ029/1986/धा0 5 तथा 7/2018, दिनांक 19 जुलाई, 2018 — हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ012/के0अ029/1986/धा0 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016 में संशोधन करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	581—582
भाग IV	शुद्धि-पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

879

*[Authorised English Translation]*

HARYANA GOVERNMENT  
ENVIRONMENT DEPARTMENT

Notification

The 19th July, 2018

**No. S.O.43/C.A.29/1986/Ss.5 and 7/2018.**— Whereas as per Haryana Government, Environment Department, notification No. S.O. 12/C.A. 29/1986/Ss.5 and 7/2016, dated the 11th May, 2016, directions were given for stone crushing units in regard to siting criteria norms as per Schedule I, emission norms and pollution control measures requirements as per Schedule II, identification of zones and availability of sites as per Schedule III and procedure for establishment and operation in identified zones as per Schedule IV;

And whereas the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to make amendment in the Haryana Government Environment Department, notification No. S.O. 12/C.A.29/1986/Ss. 5 and 7/2016 dated the 11th May, 2016.

— Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), read with Government of India, Ministry of Environment and Forest Department of Environment, Forest and Wild Life, Notification No. S.O.152(E), dated the 10th February, 1988, and in pursuance of the provision of section 7 of the said Act, and Rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, with reference to the Haryana Government, Environment Department, Notification No. S.O.30/C.A.29/1986/Ss.5 and 7/2018, dated the 28th May, 2018, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Environment, notification No. S.O.12/C.A.29/1986/Ss.5 and 7/2016, dated 11th May, 2016 namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government Environment Department, Notification No. S.O.12/C.A.29/1986/Ss.5 and 7/2016, dated the 11th May, 2016, in Schedule II, in item number IV, under the heading, "Requirement of Land", in the last line, for the word "twenty", the word "seven" shall be substituted.

DEVENDER SINGH,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Environment Department.

## भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2018

संख्या का०आ० 43/के०अ०/29/1986/धा० 5 तथा 7/2018.— चूंकि, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०12/के०अ०/29/1986/धा० 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016 के अनुसार अनुसूची I के अनुसार स्थल निर्धारण मापदंड मानकों, अनुसूची-II के अनुसार उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों, अनुसूची-III के अनुसार जोनों की पहचान तथा स्थलों की उपलब्धता तथा अनुसूची-IV के अनुसार परिलक्षित जोनों में स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के संबंध में स्टोन क्रशिंग इकाइयों को निर्देश दिए गए थे ;

और, चूंकि राज्य सरकार की राय है कि हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०12/के०अ०/29/1986/धारा 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016 में संशोधित करना आवश्यक तथा समीचीन है ;

इसलिए, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 152(ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4, के अनुसरण तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०30/के०अ०/29/1986/धा० 5 तथा 7/2018, दिनांक 28 मई, 2018 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 12/के०अ०/29/1986/धा० 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

## संशोधन

हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 12/के०अ०/29/1986/धा० 5 तथा 7/2016 दिनांक 11 मई, 2016 में, अनुसूची II में, मद संख्या IV में, "नूनि की आवश्यकता" शीर्ष के नीचे, विद्यमान पैरा में, अन्तिम पंक्ति में, "दीस" शब्द के स्थान पर, "सात" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

देवेन्द्र सिंह,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पर्यावरण विभाग।